Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2025, E-Journal, Vol. I, Issue L (50), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राजस्थान पुलिस: तब और अब – एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. रतन लाल सुथार*

* सहायक आचार्य (लोक प्रशासन) विद्या भवन रूरल इंस्टिट्यूट, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – एक राज्य के निर्माण में चार तत्व- यथा जनसंख्या, निश्चित भू-भाग, सरकार व संप्रभुता का योगदान होता है। उस राज्य को एक विकसित राज्य का स्वरूप देने के लिए वहां एक सुव्यवस्थित एवं संगठित प्रशासकीय व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। इस प्रशासकीय व्यवस्था में पुलिस प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी समाज में पुलिस की उपस्थिति सामाजिक व्यवस्था की प्रधानता और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विकासशील समाज की अपेक्षा विकसित समाज में नागरिक पुलिस को अधिक सशक्त एवं उत्तरदायी बनाया गया है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में जहाँ राजनीतिक स्थिरता और विकास प्रशासन हेतु विधि सम्मत व्यवस्था की आवश्यकता है, वहाँ पुलिस प्रशासन भी अत्यधिक प्रभावी भूमिका में होना चाहिए।

यह शोध पत्र राजस्थान पुलिस के ऐतिहासिक विकास, उसकी वर्तमान स्थिति, पुलिस के समक्ष विभिन्न चुनौतियों और भविष्य की दिशा का विश्लेषण करता है। राजस्थान पुलिस का इतिहास राजस्थान राज्य के गठन से पहले विभिन्न रियासतों की पुलिस व्यवस्था में निहित है। यह शोध पत्र आजादी से पूर्व रियासती पुलिस व्यवस्था से लेकर एक एकीकृत और आधुनिक पुलिस बल बनने तक की यात्रा के गहन अध्ययन पर आधारित है। राजस्थान पुलिस की स्थापना, संगठन, पुलिस की कार्यप्रणाली और सामाजिक भूमिका में आये परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए वर्तमान में उसके सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों जैसे- अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति, तकनीकी पिछड़ापन, सामुदायिक समन्वय की कमी और आंतरिक संगठनात्मक मुद्दों को भी यह शोध पत्र उजागर करता है। सारांशत: इस शोध पत्र द्वारा राजस्थान पुलिस द्वारा किए गए सुधारों, नवाचारों और पहलों पर प्रकाश डालना है तथा एक कुशल, जवाबदेह और जन-केंद्रित पुलिस बल के निर्माण के लिए आवश्यक सुझाव देना है।

शब्द कुंजी – पुलिस, प्रशासकीय व्यवस्था, रियासतकाल, एकीकरण, आधुनिकीकरण, अपराध-नियंत्रण, सामुदायिक पुलिस।

प्रस्तावना – पुलिस समाज की कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संस्था है। राजस्थान पुलिस, भारत की सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत पुलिस बलों में से एक है। अतीत में इसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और शाही आदेशों को लागू करना था। आज इसकी भूमिका में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला एवं बाल सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और सामुदायिक पुलिसिंग जैसे अनेक आयाम जुड़ गए हैं।

राजस्थान पुलिस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

रियासतकालीन पुलिस- स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल 563 देशी रियासतें थी तथा राजस्थान में 19 देशी रियासतें एवं तीन ठिकाने (कुशलगढ़, नीमराणा एवं लावा) थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तत्कालीन राज्यों रियासतों के विलय के पश्चात शासन की विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों का स्वरूप उभरकर सामने आया। राजस्थान का गठन एवं एकीकरण 1948 से 19 नवम्बर 1956 के बीच चरणबद्ध तरीके से हुआ, जिसमें सभी रियासतों का विलय कर एक एकीकृत राज्य बनाया गया। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन से पूर्व सभी रियासतों की अपनी-अपनी प्रशासनिक इकाईयां थी। रियासतकालीन इन सुरक्षा बलों को मिलाकर पुलिस का गठन किया गया। रियासत काल में पुलिस कार्य अक्सर सेना द्वारा दिया जाता था। अपराधों की जाँच पारंपरिक तरीकों से होती थी। राजा या दीवान की निगरानी में थाने और चौकियाँ संचालित होती थीं।

एकीकरण के पश्चात् राजस्थान पुलिस के पहले मुखिया महानिरीक्षक पुलिस, आर. बनर्जी बनाए गए। प्रतिनियुक्ति पर आए बनर्जी ने 7 अप्रैल, 1949 को अपना कार्य सम्भाला। बनर्जी ने सात महीने तक उस पद पर अपनी सेवाएँ दीं, जिसमें उन्होंने अधिकांश समय रियासतकालीन पुलिस बलों को एकीकृत करने एवं राजस्थान पुलिस के लिए समान पुलिस संहिता का निर्माण करने में लगाया। सन् 1951 में राजस्थान पुलिस सेवा की शुरूआत की गई। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस की शुरूआत हुई।

ब्रिटिश प्रभाव – कुछ रियासतों में ब्रिटिश प्रशासन का प्रभाव पड़ने से कानून व्यवस्था में कुछ आधुनिक तत्व आए। पुलिस प्रशिक्षण, वर्दी, पदानुक्रम और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था में सुधार हुए।

एकीकरण और प्रारंभिक स्वरूप (1951-1970)

1. राजस्थान राज्य का गठन-30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ और 1951 में पुलिस का एकीकरण हुआ।
2. पुलिस मुख्यालय का गठन हुआ और डीजीपी (Director General of Police) पद स्थापित किया गया।
3. अपराध जाँच, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को औपचारिक विभागों में विभाजित किया गया।
4. 1960 के दशक में रेडियो संचार और परिवहन साधनों में सुधार शुरू

हुए।

आधुनिकीकरण और विस्तार (1970–2000) :

1. क्राइम ब्रांच, CID, ATS (Anti-Terrorism Squad) जैसी विशेष इकाइयों का गठन।
2. अपराध रिकॉर्ड के लिए कम्प्यूटर आधारित डेटा एंट्री की शुरुआत।
3. प्रशिक्षण के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की स्थापना।
4. महिला पुलिस बल की भर्ती और विशेष महिला थानों का संचालन।
5. वाहनों, वायरलेस और हथियारों में सुधार।

वर्तमान स्वरूप (अब)

तकनीकी आधुनिकीकरण:

1. राजस्थान पुलिस ऑनलाइन– FIR, शिकायत और ट्रैकिंग सिस्टम ऑनलाइन उपलब्ध।
2. CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) का उपयोग।
3. साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना।
4. ड्रोन, CCTV, GPS ट्रैकिंग और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रयोग।

सामुदायिक पहल :

1. 'हैलो पुलिस' हेल्पलाइन।
2. महिला हेल्पलाइन (1090)
3. आपातकालीन सेवा (112)
4. पारिवारिक परामर्श केंद्र।
5. नगर एवं ग्राम रक्षा समिति
6. बाल मित्र पुलिस।

इनके आलावा विभिन्न जिलो में स्कूल–कॉलेज में साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा पर जनजागरूकता कार्यक्रम, हेल्पलाइन, चालित पुलिस व्यवस्था, जीवन रक्षक एम्बुलेंस सेवा, नशा मुक्ति शिविर, चाइल्ड लाइन तथा अपराध पीड़ित व्यक्तियों को राहत की विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण – पुलिस बल में नई भर्ती एवं सेवारत पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, नवीन तकनीक के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये तथा पूर्ववर्ती प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि भी की गयी है।

एक वक्त था जब पुलिस के पास अत्याधुनिक वाहन, हथियार एवं अन्य संचार उपकरण नहीं थे लेकिन गत वर्षो में राजस्थान पुलिस का स्वरूप बहुत विशाल हो गया है। अब पुलिस के पास आधुनिक वाहन, हथियार, संचार उपकरण एवं अन्य आवश्यक साजो सामान उपलब्ध है। राजस्थान पुलिस की गिनती अब देश के अग्रणी पुलिस बेड़ों में की जाती है राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम पुलिस एक्ट बनाने, आयुक्त प्रणाली लागू करने, भूमाफियाओं से निपटने, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु सीएलजी योजना सहित अनेक नवाचार एवं कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान पुलिस के पास आधुनिक हथियार प्रशिक्षण, साइबर क्राइम, मानवाधिकार और संकट प्रबंधन के विशेष कोर्स भी उपलब्ध।

तुलनात्मक विश्लेषण : तब और अब

राजस्थान पुलिस का तुलनात्मक विश्लेषण :– तब और अब

तुलना का आधार	तब (रियासती/ प्रारंभिक काल)	अब (आधुनिक काल)
संगठन	रियासतों के अनुसार अलग–अलग	एकीकृत राज्य पुलिस
तकनीक	पारंपरिक जाँच, मैनुअल रिकॉर्ड	डिजिटल रिकॉर्ड, CCTNS,CCTV
महिला भागीदारी	लगभग नगण्य	महिला थाने, 10% आरक्षण
संचार माध्यम	संदेश वाहक या डाक	वायरलेस, मोबाइल, इंटरनेट
भूमिका	कानून व्यवस्था और शाही सुरक्षा	अपराध नियंत्रण, आतंकवादी रोधी, ट्रैफिक, साइबर सुरक्षा
जन सहभागिता	लगभग नगण्य	सामुदायिक संपर्क समूह (CLG)

वर्तमान चुनौतियाँ :

1. साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि।
2. नक्सल/आतंकी गतिविधियों की संभावना।
3. पुलिस बल पर कार्यभार का अधिक दबाव।
4. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग–अलग सुरक्षा चुनौतियाँ।

निष्कर्ष – सेवार्थ कटिबद्धता के ध्येय को लेकर शुरू हुई राजस्थान पुलिस ने एक लंबा सफर तय किया है एवं वह 'अपराधियों में भय एवं आम जन में विश्वास' के ध्येय को लेकर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सम्मान एवं जान–माल की रक्षा के लिए निरंतर सेवारत है। एक समृद्ध एवं खुशहाल राजस्थान बनाने में राजस्थान पुलिस का अप्रतिम योगदान है। राजस्थान पुलिस ने समय के साथ खुद को आधुनिक, तकनीकी और जनता–केन्द्रित संस्था में परिवर्तित किया है। फिर भी अपराध के बदलते स्वरूप, तकनीकी जटिलताओं और जनसंख्या वृद्धि के साथ पुलिस को निरंतर सुधार और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। 'तब और अब' की तुलना यह दर्शाती है कि राजस्थान पुलिस ने केवल अपने उपकरण और तकनीक ही नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण को भी बदला है, जिससे यह जनता की अपेक्षाओं पर अधिक खरी उतर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (http://police.rajasthan.gov.in)
2. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।
3. 'राजस्थान पुलिस का इतिहास' – डॉ. बी.एल. शर्मा।
4. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।
5. 'भारतीय पुलिस का इतिहास' – शैलेन्द्र चतुर्वेदी।
6. 'पुलिस संगठन और प्रशासन' – शरद चन्द्र मिश्रा।
7. 'भारतीय पुलिस : सन्दर्भ एवं परिप्रेक्ष्य' – शंकर सरोलिया।

****